न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./169/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मेगाराम पुत्र श्री जगमालराम 2. शेराराम पुत्र श्री जगमालराम 3. वालाराम पुत्र श्री जगमालराम 4. निम्बाराम पुत्र श्री जगमालराम, 5. श्रीमती भीखी धर्मपत्नी श्री जगमालराम, कौम जाट, निवासी भाणा मगरा(करना), तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।	1. भूराराम पुत्र श्री जैहाराम, कौम जाट, निवासी भाणा मगरा (करना), तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 2. श्रीमान तहसीलदार, सिणधरी (तत्कालीन तहसीलदार, गुड़ामालानी) तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक जिलाधीश(ए.सी.एम.), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/1984 बउनवान जगमालराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1985 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–27.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा करना के खसरा संख्या 26 रकबा 63 बीघा, खसरा संख्या 185 रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 182 रकबा 58 बीघा, खसरा संख्या 205 रकबा 81 बीघा किस्म बारानी सोयम और खसरा संख्या 181 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल रकबा 283 बीघा 01 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा करना के खसरा संख्या 26 रकबा 63 बीघा, खसरा संख्या 185 रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 182 रकबा 58 बीघा, खसरा संख्या 205 रकबा 81 बीघा किस्म बारानी सोयम और खसरा संख्या 181 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल रकबा 283 बीघा 01 बिस्वा भूमि आई हुई है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया के वाद निस्तारण के प्रावधानों, नेचुरल जस्टिस (सुने जाने का अधिकार) को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पारित किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पों. द्वारा दिनांक 22.04.1961 को हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 26 का बेचान किया गया था इस बेचान का वादी जगमालराम को कोई ज्ञान नहीं था। प्रतिवादी द्वारा इस अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाते के लिए इकबालिया जबाबदावा दे दिया एवं रेस्पों. संख्या 1 ने येनकेन प्रकरेण वादी के वकील को अपने प्रभाव में लेकर दोनों अधिवक्ताओं के जरिये अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करते हुए निर्णय पारित करवा लिया है। उक्त निर्णय के तुरन्त बाद खसरा संख्या 26 के खरीददार नवलाराम वगैरह द्वारा राजस्व वाद संख्या 202/1985 तत्कालीन सहायक जिलाधीश (ए.सी.एम.), बाड़मेर में पेश करवाकर तामीली हेतु मुकर्रर पेशी दिनांक 07.11.1984 को एकबार तो प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित व एसीएम साहब का पदस्थापन नहीं हुआ है, का अकंन किया जाकर पेश दिनांक 26.10.1984 मुकर्रर कर हस्ताक्षर व मोहर अंकित कर दिया था। उसके बाद संदिग्धता में पुनश्चयः कर "पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया, बाद सत्यापन शामिल मिसल किया गया" का कांट–छांट अंकन कर उसी के आधार पर निर्णय पारित करते हुए खसरा संख्या 26 के खरीददार नवलाराम वगैरह के खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित करवा दिया। जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात है। क्योंकि अपीलांट्स के जन्म से प्राप्त पैतृक हितों पर कुठाराघात करते हुए राजस्व रेकार्ड पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि से विपरीत है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 26 जो अकेले भूराराम ने अपने हिस्से में से हिस्से अधिक भूमि का बेचान किया शेष कुल रकबा में उनके 1/2 हिस्सा में से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कम किया जाकर विधिवत हिस्से अनुसार भूराराम व जगमालराम के हिस्सों की पुनः से खातेदारी घोषणा किया जाकर नये सिरे से बंटवारे का आदेश प्रदान करवाने का आदेश प्रदान करावें। क्योंकि प्रत्येक का 1/2 हिस्से भूराराम द्वारा 1961 में खसरा संख्या 26 का बेचान कर दिया गया। किन्तु बंटवारे में उक्त खसरा संख्या 26 को मेगाराम के हिस्से में दे दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्यूटेशन को खारिज किया गया। किन्तु राजस्व रिकार्ड में खसरा उसी प्रकार से बोलता रहा। उक्त समस्त तथ्यों अनुसार अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले-बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। अपीलांट जरिये फौतगी नामान्तरकरण के हस्तगत आराजी की रेकार्डेड खातेदार दर्ज हुई है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार हैं। अपीलांट द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 का सहवन से पेश करने से छूट गया था। इसलिये अपीलांट के मौखिक निवेदन को स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील अपीलांट को प्रार्थना-पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। अपीलांटस/वादीगण अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि से विपरीत जाकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया है। अपीलांटगण के प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर उक्त दावा में उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलांट्स के पैतृक हितों के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अपीलांट उक्त आराजी पर जन्म से काबिज–काश्त लगातार चला आ रहा है। अर्सा 1 माह पूर्व रेस्पों. संख्या 1 व उसके लड़कों द्वारा बलपूर्वक अपीलांट को हटाने का प्रयास किया व अपीलांट की रहवासीय ढाणी पर कब्जा करने पर आमादा हुए एवं अपीलांट के कब्जा–काश्त में दखलअंदाजी की जाने लगी तो उसके बाद अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अपीलांट के पिता वादी डूंगरसिंह के जीवन काल में वादी या अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय के बारे में कोई उज्र–ऐतराज दर्ज नहीं करवाया गया था। वादी के देहान्त पश्चात् वादी की पुत्रों/अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। सुदीर्घ अवधि का कोई सद्भाविक कारण अज अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 40 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज योग्य ठहरती है।

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार, विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

करते हुए पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश(ए.सी.एम.), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 131 / 1984 बउनवान जगमालराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.1985 को यथावत रखा जाता है।

27/10/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर